

<sup>1</sup>[पहली अनुसूची  
(अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4)

**1. राज्य**

नाम	राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	<sup>2</sup> [वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में, आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ]]
2. असम	वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले असम प्रांत, खासी राज्यों और असम जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट थे, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो असम (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1951 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं <sup>3</sup> [और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं] <sup>4</sup> [और वे राज्यक्षेत्र] भी इसके अंतर्गत नहीं हैं <sup>4</sup> [जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं] ।
3. बिहार	<sup>5</sup> [वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो बिहार प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं <sup>6</sup> [और वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं] ]]
<sup>7</sup> [4. गुजरात	वे राज्यक्षेत्र जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं ]]
5. केरल	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।
6. मध्य प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 9 की उपधारा (1) में <sup>8</sup> [तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं <sup>9</sup> [किन्तु इनके अंतर्गत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र नहीं हैं ]]

<sup>1</sup> संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 द्वारा पहली अनुसूची के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) जोड़ा गया ।

<sup>4</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) जोड़ा गया ।

<sup>5</sup> बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 24) की धारा 4 द्वारा (10-6-1970 से) पूर्ववर्ती प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>7</sup> मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 4 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>8</sup> राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।

<sup>9</sup> मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा जोड़ा गया ।

<sup>1</sup>[FIRST SCHEDULE**[Articles 1 and 4]****I. THE STATES**

<i>Name</i>	<i>Territories</i>
1. Andhra Pradesh	<sup>2</sup> [The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Andhra State Act, 1953, sub-section (1) of section 3 of the States Reorganisation Act, 1956, the First Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959, and the Schedule to the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968, but excluding the territories specified in the Second Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959.]
2. Assam	The territories which immediately before the commencement of this Constitution were comprised in the Province of Assam, the Khasi States and the Assam Tribal Areas, but excluding the territories specified in the Schedule to the Assam (Alteration of Boundaries) Act, 1951 <sup>3</sup> [and the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the State of Nagaland Act,] <sup>4</sup> [1962 and the territories specified in sections 5, 6 and 7 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.]
3. Bihar	<sup>5</sup> [The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Bihar or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956, and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the first mentioned Act <sup>6</sup> [and the territories specified in section 3 of the Bihar Reorganisation Act, 2000.
<sup>7</sup> [4. Gujarat	The territories referred to in sub-section (1) of section 3 of the Bombay Reorganisation Act, 1960.]
5. Kerala	The territories specified in sub-section (1) of section 5 of the States Reorganisation Act, 1956.
6. Madhya Pradesh	The territories specified in sub-section (1) of section 9 of the States Reorganisation Act, 1956 <sup>8</sup> [and the First Schedule to the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959, <sup>9</sup> [but excluding the territories specified in section 3 of the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000.].]

<sup>1</sup> Subs. by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956. s. 2. for the First Sch.

<sup>2</sup> Subs. by the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968 (36 of 1968) s. 4, for the former entry (w.e.f. 1-10-1968).

<sup>3</sup> Added by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 4 (w.e.f. 1-12-1963).

<sup>4</sup> Added by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

<sup>5</sup> Subs. by the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968 (24 of 1968), s. 4, for the former entry (w.e.f. 10-6-1970).

<sup>6</sup> Added by the Bihar Reorganisation Act, 2000 (30 of 2000), s. 5 (w.e.f. 15-11-2000).

<sup>7</sup> Subs. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4, for entry 4 (w.e.f. 1-5-1960).

<sup>8</sup> Ins. by the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 (47 of 1959), s. 4 (w.e.f. 1-10-1959).

<sup>9</sup> Added by the Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000 (28 of 2000), s. 5.

- <sup>1</sup>[7. तमिलनाडु] वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो मद्रास प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 4 में <sup>2</sup>[तथा आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में] विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) और धारा 4 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और <sup>3</sup>[वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 6 और धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (घ) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं] ।
- <sup>4</sup>[8. महाराष्ट्र] वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, किन्तु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट है ]
- <sup>5</sup>[<sup>6</sup>[9.] कर्नाटक] वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 7 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं, <sup>7</sup>[किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं] ।
- <sup>6</sup>[10.] उड़ीसा] वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले या तो उड़ीसा प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों ।
- <sup>6</sup>[11.] पंजाब] वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 11 में विनिर्दिष्ट हैं <sup>8</sup>[और वे राज्यक्षेत्र जो अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 की प्रथम अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं,] <sup>9</sup>[किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की पहली अनुसूची के भाग 2 में निर्दिष्ट हैं] <sup>10</sup>[और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 और धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं] ।
- <sup>6</sup>[12.] राजस्थान] वे राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 10 में विनिर्दिष्ट हैं, <sup>11</sup>[किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं] ।

<sup>1</sup> मद्रास राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 (1968 का 53) की धारा 5 द्वारा (14-1-1969 से) “7. मद्रास” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>2</sup> आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से) अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 (1959 का 56) की धारा 6 द्वारा (1-4-1960 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>4</sup> मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> मैसूर राज्य (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 31) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) “9. मैसूर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>6</sup> मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<sup>7</sup> आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 (1968 का 36) की धारा 4 द्वारा (1-10-1968 से) अंतःस्थापित ।

<sup>8</sup> अर्जित राज्यक्षेत्र (विलयन) अधिनियम, 1960 (1960 का 64) की धारा 4 द्वारा (17-1-1961 से) अंतःस्थापित ।

<sup>9</sup> संविधान (नवां संशोधन) अधिनियम, 1960 की धारा 3 द्वारा (17-1-1961 से) जोड़ा गया ।

<sup>10</sup> पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।

<sup>11</sup> राजस्थान और मध्य प्रदेश (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1959 (1959 का 47) की धारा 4 द्वारा (1-10-1959 से) अंतःस्थापित ।

- <sup>1</sup>[7. Tamil Nadu] The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Madras or were being administered as if they formed part of that Province and the territories specified in section 4 of the States Reorganisation Act, 1956, <sup>2</sup>[and the Second Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959], but excluding the territories specified in sub-section (1) of section 3 and sub-section (1) of section 4 of the Andhra State Act, 1953 and <sup>3</sup>[the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 5, section 6 and clause (d) of sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956 and the territories specified in the First Schedule to the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959].
- <sup>4</sup>[8. Maharashtra] The territories specified in sub-section (1) of section 8 of the States Reorganisation Act, 1956, [but excluding the territories referred to in sub-section (1) of section 3 of the Bombay Reorganisation Act, 1960.]
- <sup>5</sup>[<sup>6</sup>9. Karnataka] The territories specified in sub-section (1) of section 7 of the States Reorganisation Act, 1956 <sup>7</sup>[but excluding the territory specified in the Schedule to the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968].
- <sup>6</sup>[10.] Orissa The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of Orissa or were being administered as if they formed part of that Province.
- <sup>6</sup>[11]. Punjab The territories specified in section 11 of the States Reorganisation Act, 1956 <sup>8</sup>[and the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Acquired Territories (Merger) Act, 1960] <sup>9</sup>[but excluding the territories referred to in Part II of the First Schedule to the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960] <sup>10</sup>[and the territories specified in sub-section (1) of section 3, section 4 and sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966].
- <sup>6</sup>[12]. Rajasthan The territories specified in section 10 of the States Reorganisation Act, 1956 <sup>11</sup>[but excluding the territories specified in the First Schedule to the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959].

<sup>1</sup> Subs. by the Madras State (Alteration of Name) Act, 1968 (53 of 1968), s. 5, for "7. Madras" (w.e.f. 14-1-1969).

<sup>2</sup> Ins. by the Andhra Pradesh and Madras (Alteration of Boundaries) Act, 1959 (56 of 1959), s. 6 (w.e.f. 1-4-1960).

<sup>3</sup> Subs. by s. 6, *ibid.*, for certain words (w.e.f. 1-4-1960).

<sup>4</sup> Ins. by the Bombay Reorganisation Act, 1960 (11 of 1960), s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).

<sup>5</sup> Subs. by the Mysore State (Alteration of Name) Act, 1973 (31 of 1973), s. 5, for "9. Mysore" (w.e.f. 1-11-1973).

<sup>6</sup> Entries 8 to 14 renumbered as entries 9 to 15 by the Bombay Reorganisation Act: 1960 (11 of 1960) s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).

<sup>7</sup> Ins. by the Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Act, 1968 (36 of 1968), s. 4 (w.e.f. 1-10-1968).

<sup>8</sup> Ins. by the Acquired Territories (Merger) Act, 1960 (64 of 1960), s. 4 (w.e.f. 17-1-1961).

<sup>9</sup> Added by the Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960, s. 3 (w.e.f. 17-1-1961).

<sup>10</sup> Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7 (w.e.f. 1-11-1966).

<sup>11</sup> Ins. by the Rajasthan and Madhya Pradesh (Transfer of Territories) Act, 1959 (47 of 1959), s. 4 (w.e.f. 1-10-1959).

- <sup>1</sup>[13.] उत्तर प्रदेश <sup>2</sup>[वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो संयुक्त प्रांत नाम से ज्ञात प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों, वे राज्यक्षेत्र जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) <sup>3</sup>[तथा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3] में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र भी इसके अंतर्गत नहीं हैं जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>1</sup>[14.] पश्चिमी बंगाल वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले या तो पश्चिमी बंगाल प्रांत में समाविष्ट थे या इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे उस प्रांत के भाग रहे हों और चंद्रनगर (विलयन) अधिनियम, 1954 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित चंद्रनगर का राज्यक्षेत्र और वे राज्यक्षेत्र भी जो बिहार और पश्चिमी बंगाल (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- <sup>1</sup>[15.] जम्मू-कश्मीर वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले जम्मू-कश्मीर देशी राज्य में समाविष्ट था ।
- <sup>4</sup>[16.] नागालैंड वे राज्यक्षेत्र जो नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>5</sup>[17.] हरियाणा <sup>6</sup>[वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं और वे राज्यक्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>7</sup>[18.] हिमाचल प्रदेश वे राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित थे मानो वे हिमाचल प्रदेश और बिलासपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाले प्रांत रहे हों और वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>8</sup>[19.] मणिपुर वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह मणिपुर के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो ।
20. त्रिपुरा वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले इस प्रकार प्रशासित था मानो वह त्रिपुरा के नाम से ज्ञात मुख्य आयुक्त वाला प्रांत रहा हो ।
21. मेघालय वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 5 में विनिर्दिष्ट हैं ।]

<sup>1</sup> मुंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 (1960 का 11) की धारा 4 द्वारा (1-5-1960 से) प्रविष्टि 8 से 14 तक को प्रविष्टि 9 से 15 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<sup>2</sup> हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31 से) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से) “13. उत्तर प्रदेश” के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>3</sup> उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा (9-11-2000 से) अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> नागालैंड राज्य अधिनियम, 1962 (1962 का 27) की धारा 4 द्वारा (1-12-1963 से) अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> हरियाणा और उत्तर प्रदेश (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1979 (1979 का 31) की धारा 5 द्वारा (15-9-1983 से) “17. हरियाणा” के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) अंतःस्थापित ।

<sup>8</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

- <sup>1</sup>[13.] Uttar Pradesh                   <sup>2</sup>[The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province known as the United Provinces or were being administered as if they formed part of that Province, the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, and the territories specified in clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979, but excluding the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Bihar and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1968, <sup>3</sup>and the territories specified in section 3 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979.]
- <sup>3</sup>[14.] West Bengal                   The territories which immediately before the commencement of this Constitution were either comprised in the Province of West Bengal or were being administered as if they formed part of that Province and the territory of Chandernagore as defined in clause (c) of section 2 of the Chandernagore (Merger) Act, 1954 and also the territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Bihar and West Bengal (Transfer of Territories) Act, 1956.
- <sup>3</sup>[15.] Jammu and Kashmir           The territory which immediately before the commencement of this s comprised in the Indian State of Jammu and Kashmir
- <sup>4</sup>[16. Nagaland                   The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the State of Nagaland Act, 1962.]
- <sup>5</sup>[17. Haryana                   <sup>6</sup>[The territories specified in sub-section (1) of section 3 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 and the territories specified in clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979, but excluding the territories specified in clause (v) of sub-section (1) of section 4 of that Act.]]
- <sup>7</sup>[18. Himachal Pradesh           The territories which immediately before the commencement of this Constitution were being administered as if they were Chief Commissioners' Provinces under the names of Himachal Pradesh and Bilaspur and the territories specified in sub-section (1) of section 5 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.]
- <sup>8</sup>[19. Manipur                   The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Manipur.
- 20.Tripura                   The territory which immediately before the commencement of this Constitution was being administered as if it were a Chief Commissioner's Province under the name of Tripura.
21. Meghalaya                   The territories specified in section 5 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971.]

<sup>1</sup> Entries 8 to 14 renumbered as entries 9 to 15 by the Bombay Reorganisation Act: 1960 (11 of 1960) s. 4 (w.e.f. 1-5-1960).

<sup>2</sup> Subs. by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), s. 5, for the entry against "13. Uttar Pradesh" (w.e.f. 15-9-1983).

<sup>3</sup> Ins. by the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), s. 5 (w.e.f. 9-1-2000).

<sup>4</sup> Ins. by the State of Nagaland Act, 1962 (27 of 1962), s. 4 (w.e.f. 1-12-1963).

<sup>5</sup> Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7, (w.e.f. 1-11-1966)

<sup>6</sup> Subs. by the Haryana and Uttar Pradesh (Alteration of Boundaries) Act, 1979 (31 of 1979), s. 5, for the entry against "17 Haryana" (w.e.f. 15-9-1983)

<sup>7</sup> Ins. by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 4 (w.e.f. 25-1-1971).

<sup>8</sup> Ins. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

- <sup>1</sup>[22. सिक्किम वे राज्यक्षेत्र जो संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारंभ से ठीक पहले सिक्किम में समाविष्ट थे ।]
- <sup>2</sup>[23. मिजोरम वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>3</sup>[24. अरुणाचल प्रदेश वे राज्यक्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 7 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>4</sup>[25. गोवा वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>5</sup>[26. छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र ।]
- <sup>6</sup>[27. उत्तरांचल वे राज्यक्षेत्र जो उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
- <sup>7</sup>[28. झारखंड वे राज्यक्षेत्र जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।]

---

<sup>1</sup> संविधान (छत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1975 की धारा 2 द्वारा (26-4-1975 से) अंतःस्थापित ।

<sup>2</sup> मिजोराम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

<sup>3</sup> अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

<sup>4</sup> गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा (30-5-1987 से) अंतःस्थापित ।

<sup>5</sup> मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 28) की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>7</sup> बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 30) की धारा 5 द्वारा अंतःस्थापित ।





## 2. संघ राज्यक्षेत्र

नाम	विस्तार
1. दिल्ली	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले दिल्ली के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।
1*	* * * * *
2*	* * * * *
<sup>3</sup> [2.] अंदमान और निकोबार द्वीप	वह राज्यक्षेत्र जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले अंदमान और निकोबार द्वीप के मुख्य आयुक्त वाले प्रांत में समाविष्ट था ।
<sup>3</sup> [3.] <sup>4</sup> [लक्षद्वीप]	वह राज्यक्षेत्र जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है ।
<sup>5</sup> [ <sup>3</sup> 4.] दादरा और नागर हवेली	वह राज्यक्षेत्र जो 11 अगस्त, 1961 से ठीक पहले स्वतंत्र दादरा और नागर हवेली में समाविष्ट था ।]
<sup>6</sup> [ <sup>3</sup> 5.] दमण और दीव	वे राज्यक्षेत्र जो गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।]
<sup>7</sup> [ <sup>3</sup> 6.] पांडिचेरी	वे राज्यक्षेत्र जो 16 अगस्त, 1962 से ठीक पहले भारत में पांडिचेरी, कारिकल, माही और यनम के नाम से ज्ञात फ्रांसीसी बस्तियों में समाविष्ट थे ।]
<sup>8</sup> [ <sup>3</sup> 7.] चंडीगढ़	वे राज्यक्षेत्र जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं । ]
9*	* * * * *
<sup>10</sup> 10.*	* * * * *

<sup>1</sup> हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 4 द्वारा (25-1-1971 से) “हिमाचल प्रदेश” से संबंधित प्रविष्टि 2 का लोप किया गया ।

<sup>2</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) मणिपुर और त्रिपुरा से संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया गया ।

<sup>3</sup> पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 9 द्वारा (21-1-1972 से) प्रविष्टि 4 से 9 तक को प्रविष्टि 2 से 7 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<sup>4</sup> लक्कादीव, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप (नाम-परिवर्तन) अधिनियम, 1973 (1973 का 34) की धारा 5 द्वारा (1-11-1973 से) “लक्कादीव, मिनिकोय, अमीनदीवी द्वीप” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

<sup>5</sup> संविधान (दसवां संशोधन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।

<sup>6</sup> गोवा, दमण और दीव पुनर्गठन अधिनियम, 1987 (1987 का 18) की धारा 5 द्वारा प्रविष्टि 5 के स्थान पर (30-5-1987 से) प्रतिस्थापित ।

<sup>7</sup> संविधान (चौदहवां संशोधन) अधिनियम, 1962 की धारा 3 और धारा 7 द्वारा (16-8-1962 से) अंतःस्थापित ।

<sup>8</sup> पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 7 द्वारा (1-11-1966 से) अंतःस्थापित ।

<sup>9</sup> मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) मिजोरम संबंधी प्रविष्टि का लोप किया गया और अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 9 को प्रविष्टि 8 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।

<sup>10</sup> अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 69) की धारा 4 द्वारा (20-2-1987 से) अरुणाचल प्रदेश संबंधी प्रविष्टि 8 का लोप ।

## II. THE UNION TERRITORIES

Name	Extent
1. Delhi	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of Delhi.
<sup>1</sup> *	* * * *
<sup>2</sup> *	* * * *
<sup>3</sup> [2.]The Andaman and Nicobar Islands	The territory which immediately before the commencement of this Constitution was comprised in the Chief Commissioner's Province of the Andaman and Nicobar Islands.
<sup>3</sup> [3.] <sup>4</sup> [Lakshadweep]	The territory specified in section 6 of the States Reorganisation Act, 1956.
<sup>5</sup> [ <sup>3</sup> 4.] Dadra and Nagar Haveli	The territory which immediately before the eleventh day of August 1961 was comprised in Free Dadra and Nagar Haveli.]
<sup>6</sup> [ <sup>3</sup> 5.]Daman and Diu	The territories specified in section 4 of the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987.]
<sup>7</sup> [ <sup>3</sup> 6.]Pondicherry	The territories which immediately before the sixteenth day of August, 1962, were comprised in the French Establishments in India known as Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam.]
<sup>8</sup> [ <sup>3</sup> 7.]Chandigarh	The territories specified in section 4 of the Punjab Reorganisation Act, 1966.
<sup>9</sup> *	* * * *
<sup>10</sup> *	* * * *

<sup>1</sup> Entry 2 relating to "Himachal Pradesh" omitted by the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), s. 4 (w.e.f. 25-1-1971).

<sup>2</sup> Entries relating to Manipur and Tripura omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 9 (w.e.f. 21-1-1972).

<sup>3</sup> Entries 4 to 9 renumbered as entries 2 to 7 by s. 9, *ibid.* (w.e.f. 21-1-1972).

<sup>4</sup> Subs. by the Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands (Alteration of Name) Act, 1973 (34 of 1973), s. 5, for "The Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands" (w.e.f. 1-11-1973).

<sup>5</sup> Ins. by the Constitution (Tenth Amendment) Act, 1961, s. 2.

<sup>6</sup> Subs. by the Goa, Daman and Diu Reorganisation Act, 1987 (18 of 1987), s. 5, for entry 5 (w.e.f. 30-5-1987).

<sup>7</sup> Ins. by the Constitution (Fourteenth Amendment) Act, 1962, ss. 3 and 7 (w.e.f. 16-8-1962).

<sup>8</sup> Ins. by the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), s. 7 (w.e.f. 1-11-1966).

<sup>9</sup> Entry 8 relating to Mizoram omitted by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 4 and entry 9 relating to Arunachal Pradesh renumbered as entry 8 (w.e.f. 20-2-1987).

<sup>10</sup> Entry 8 relating to Arunachal Pradesh omitted by the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 (69 of 1986), s. 4 (w.e.f. 20-2-1987).